

## ग्रामीण सेवा शिविर-2025


पत्र-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द  
(पीठारीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प कुरम

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुरती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कुरम  
व भू.अ.नि. कुरम की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा / नायब  
तहसीलदार रेलमगरा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कुरम तहसील रेलमगरा व  
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् २०११ में खाता संख्या ३६८ में  
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
०१	कुरम	३६८	जगदीश पुत्र भैरूलाल पति ५२	जगदीश-कन्हू पुत्र भैरूलाल पति ५२

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 लोक अदालत  
रेलमगरा


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, .....

क्रमांक:- 213

प्रतिदिधि :-

दिनांक :- **4 OCT 2025**

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

  
 पीठारीन अधिकारी  
 उपखण्ड अधिकारी  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, .....